फॉर्म आईएसआर - 1

(सेबी की परिपत्र संख्या को देखें SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 जिसे दिनांक 03 नवंबर, 2021, को आरटीए द्वारा निवेशक की सेवा अनुरोध को संसाधित करने हेतु सामान्य और सरलीकृत मानदंडों तथा पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन करने के मानदंडों पर जारी किया गया है।)

पैन, केवाईसी विवरण या उसमें बदलाव/अपडेट हेतु अनुरोध

[फिज़िकल रूप में रखी गई सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों (शेयर/डिबेंचर/बॉन्ड, आदि) के लिए]

दिनांक :___ /___ /______

क. मैं/हम आपसे निम्नलिखित को पंजीकृत करने/बदलने/अपडेट करने का अनुरोध करते हैं (उपयुक्त बॉक्स पर निशान√ लगाएँ)

☐ पैन	☐ डाक का पता
☐ बैंक विवरण	☐ ई-मेल पता
☐ हस्ताक्षर	☐ मोबाइल नंबर
☐ डीमैट अकाउंट का विवरण	

ख. प्रतिभूति विवरण:

जारीकर्ता कंपनी का नाम	फॉलियो सं.
प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिभूति धारक (धारकओं) का नाम	1. 2. 3.
प्रतिभूतियों की संख्या और अंकित मूल्य	
प्रतिभूतियों की विशिष्ट संख्या	से तक

ग. मैं/हम नीचे दी गई तालिका के अनुसार दस्तावेज जमा कर रहे हैं (निर्देशों का संदर्भ करें, उपयुक्त बॉक्स पर निशान√ लगाएँ):

	√	दस्तावेज़ / सूचना /	निर्देश / टिप्पणी

		विवरण	
1	(सभी) (संयुक्त) धारक (ओं) का पैन		
		पैन क्या यह वैध है (आधार कार्ड से लिंक्ड है): हाँ नहीं	 पैन तभी वैध होगा जब वह 31 मार्च, 2022 तक आधार कार्ड से लिंक्ड हो* पैन पर छूट/स्पष्टीकरण के लिए, कृपया पृष्ठ 4 में आपत्ति ज्ञापन देखें
2		डीमैट अकाउंट नंबर	 डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा प्रदान किए गए अपने डीमैट खाते की क्लाइंट मास्टर लिस्ट (सीएमएल) भी प्रदान करें.
3		प्रथम धारक का पता प्रमाण पत्र	कोई भी एक दस्तावेज को प्रदान करें, केवल तभी जब पते में परिवर्तन हो; • डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा प्रदान किए गए अपने डीमैट खाते की क्लाइंट मास्टर लिस्ट (सीएमएल) • वैध पासपोर्ट/राशन कार्ड/रेजिस्ट्र्ड लीज या सेल एग्रीमेंट ऑफ रेजिडेंस/ड्राइविंग लाइसेंस/फ्लैट मेंटेनेंस बिल। • उपयोगिता बिल जैसे टेलीफोन बिल (केवल लैंड लाइन), बिजली बिल या गैस बिल - 3 महीने से अधिक पुराना नहीं। • पहचान पत्र / पता सहित दस्तावेज, निम्नलिखित में से किसी के भी द्वारा जारी किया गया: केंद्र/राज्य सरकार और उसके विभाग, सांविधिक/नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान। • एफआईआई/सब अकाउंट के लिए, एफआईआई / सब अकाउंट द्वारा कस्टोडियन (जो विधिवत नोटरीकृत और/या प्रेरित, या वाणिज्य दूतावास हैं) को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी ली जानी चाहिए जो पंजीकृत पता देती है। • पति या पत्नी के नाम पर पते का प्रमाण
4		बैंक विवरण	बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या और आईएफएस कोड के विवरण के साथ बैंक स्टेटमेंट की प्रति या चेक लीफ की प्रति प्रदान करें।

			वैकल्पिक रूप से, सीएमएल में उपलब्ध बैंक विवरण फोलियो में अपडेट किया जाएगा।
5		ई-मेल पता	______________________ वैकल्पिक रूप से, सीएमएल में उपलब्ध ई-मेल पता फोलियो में अपडेट किया जाएगा
6		मोबाइल	______________________ वैकल्पिक रूप से सीएमएल में उपलब्ध मोबाइल नंबर फोलियो में अपडेट किया जाएगा
7		स्पेसीमेन हस्ताक्षर	• बैंकर का प्रमाणपत्र प्रदान करें कि धारक(ओं) के हस्ताक्षर Form ISR - 2 के अनुसार SEBI परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 में हैं) और • मूल रद्द किया गया चेक
8		नामांकन**	• नामांकन प्रदान करना: कृपया उचित रूप से भरा हुआ नामांकन फॉर्म (SH-13) या फॉर्म ISR-3 के अनुसार 'नामांकन से बाहर होने की घोषणा' जमा करें, जैसा कि SEBI सर्कुलर SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 में है। • मौजूदा नामांकन में बदलाव: कृपया SEBI सर्कुलर SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 में फ़ॉर्म SH-14 का उपयोग करें • मौजूदा नामांकन रद्द करना: कृपया फॉर्म SH-14 और फॉर्म ISR - 3 का उपयोग करें

* या सीबीडीटी द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली कोई भी तिथि

** नामांकन (फॉर्म एसएच -13 या एसएच -14) / 'नामांकन से ऑप्ट-आउट करने की घोषणा' (फॉर्म आईएसआर - 3), प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए धारक (ओं) द्वारा अलग से प्रस्तुत करना होगा।

आरटीए को दस्तावेज जमा करने का माध्यम

कृपया निम्न में से किसी एक माध्यम का उपयोग करें;

1. व्यक्तिगत सत्यापन (आईपीवी) में: आरटीए के अधिकृत व्यक्ति को ऑरिजनल्स प्रस्तुत करके, जो दस्तावेज़ की प्रतियां बनाए रखेगा

2. हार्ड कॉपी में: तिथि सहित संबंधित दस्तावेज़ की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी प्रस्तुत करें

3. आरटीए के साथ पहले से पंजीकृत ई-मेल पते के माध्यम से, दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई प्रतियों के ई-हस्ताक्षर सहित

4. दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों के साथ ई-हस्ताक्षर सहित आरटीए सेवा पोर्टल, यदि आरटीए ऐसी सुविधा प्रदान कर रहा है।

नोट

- सूचीबद्ध कंपनी में फिज़िकल प्रतिभूतियों के धारकों के लिए पैन, पूर्ण केवाईसी विवरण (पता प्रमाण, बैंक विवरण, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर) और नामांकन (सभी पात्र फोलियो के लिए) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- बैंक विवरण प्राप्त होने या अद्यतन होने पर, आरटीए स्वचालित रूप से धारक को सभी धनराशियों/भुगतानों का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करता है जो पहले अप्राप्त/असफल रहे थे।

- आरटीए प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर पैन, केवाईसी विवरण और नॉमिनी के साथ फोलियो को अपडेट करेगा। हालांकि, नामांकन रद्द करना उस तिथि से प्रभावी होगा जिस दिन कंपनी/आरटीए द्वारा यह सूचना प्राप्त की जाएगी।

- आरटीए पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के पंजीकरण/अप-डेटिंग/बदलने के लिए शपथ पत्र या सत्यापन/नोटरीकरण या क्षतिपूर्ति पर जोर नहीं देगा।

प्राधिकरण: मैं/हम आपको (आरटीए) मेरे/हमारे फोलियो __________, _________ में उपरोक्त पैन और केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए अधिकृत करते हैं, जिसमें मैं/हम धारक हैं (जो लागू नहीं है उसे बंद कर दें)।

घोषणा: उपरोक्त सभी तथ्य सत्य और सही हैं।

	धारक 1	धारक 2	धारक 3
हस्ताक्षर	√	√	√
नाम	√	√	√
पूरा डाक पता	√		
पिन	√ □□□□□ □□		

(पृष्ठ 4 निवेशकों के लिए जानकारी हेतु; इसका प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता नहीं है।)

आरटीए द्वारा जारी किया जा सकने वाला आपत्ति पत्र

(केवल तभी जब संबंधित दस्तावेज़/विवरण फोलियो में उपलब्ध न हों या उनमें कोई असंगति/विसंगति हो अथवा उनमें कोई परिवर्तन हुआ हो)

नोट

आरटीए सभी आपत्तियां, यदि कोई हो/हैं, केवल एक ही बार उठाएंगे; धारक/दावेदार द्वारा सभी निर्धारित दस्तावेज और विवरण प्रस्तुत करने के बाद, आरटीए एक ही मुद्दे पर बार-बार आपत्तियां नहीं उठाएगा, जब तक कि उसमें कोई कमी/विसंगति न हो।

क्रमांक	मद	धारक/दावेदार द्वारा आरटीए को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़/विवरण
1.	पैन - अपवाद और स्पष्टीकरण	सेबी सर्कुलर संख्या MIRSD/SE/Cir-21/2011 दिनांक 05 अक्टूबर, 2011 के अनुलग्नक - 1 में केवाईसी फ़ॉर्म भरने के लिए निर्देश/चेक सूची' के खंड घ में प्रदान किए गए 'पैन के लिए छूट/स्पष्टीकरण', फिज़िकल रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के धारक/दाता के लिए भी लागू होंगे।
2.	हस्ताक्षर में मामूली सी विसंगति-	आरटीए वर्तमान पते पर धारक को सूचित करेगा और यदि कोई आपत्ति हो, तो 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।
3.	हस्ताक्षर में बड़ी असंगति या आरटीए के पास उसका उपलब्ध न होना	• फॉर्म आईएसआर-2 के अनुसार धारक के हस्ताक्षर का बैंक द्वारा प्रमाणीकरण • मूल रद्द किया गया चेक
4.	नाम में गलती	नामों में अंतर को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें; • यूनिक आईडेंटीफिकेशन नम्बर (यूआईडी) (आधार) • वैध पासपोर्ट • ड्राइविंग लाइसेंस • फोटो सहित पैन कार्ड • निम्न में से किसी के भी द्वारा जारी फोटो सहित पहचान पत्र / दस्तावेज़: केंद्र/राज्य सरकार और उसके विभाग, वैधानिक/नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान • विवाह प्रमाणपत्र • तलाक डिक्री
5.	धारक का वर्तमान पता फोलियो में उपलब्ध पते से मेल नहीं खा रहा है।	आरटीए पुराने और नए दोनों पतों पर सूचना जारी करेगा। यदि पुराने और/या नए पते पर भेजे गए पत्र वापस आ जाते हैं या इस पत्र के उत्तर में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्तुत करें: • तालिका ग की पंक्ति 3 में दिए गए दस्तावेजों में से कोई

		एक, जिसमें पुराना पता उल्लेखित हो, या • कंपनी से प्राप्त लाभांश वारंट का काउंटरफॉयल, या • पिछला प्राप्त लाभांश क्रेडिट दर्शाने वाला बैंक विवरण

(पृष्ठ 4 निवेशकों के लिए जानकारी हेतु; इसका प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता नहीं है।)